भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग की लाइसेंसिंग नीति और विनियमन

दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि कुछ ऐसे **भारतीय इंटरनेशनल लॉन्ग-डिस्टेंस ऑपरेटर्स** (ILDOs) जिनकी सबमरीन केबल प्रणाली में किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं है, वे भारत में इस तरह के केबल बिछाने/रखरखाव करने के लिये मंज़ूरी मांग रहे हैं।

- इस संदर्भ में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'भारत में **सबमरीन केबल लैंडिंग के लिये लाइसेंसिंग नीति और विनियामक तंत्र'** के संबंध में सिफारिशें जारी की हैं।

TRAI के सुझाव:

- **CLS की दो श्रेणियाँ:**
  - इंटरनेशनल लॉन्ग-डिस्टेंस/इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स श्रेणी A (ILD/ISP-A) में संशोधन करके केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) स्थानों की दो श्रेणियों को शामिल करने की अनुमति दी गई है- **मुख्य CLS और CLS "प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस"।**
    - **मुख्य CLS के मालिक को भारत में अपने CLS में SMC लैंडिंग से संबंधित सभी अनुमतियों/स्वीकृतियों के लिये अनुरोध करना होगा।**
    - CLS 'उपस्थिति बिंदु' को **वैध अवरोधन की अनुमति एवं अपेक्षित सुरक्षा अभ्यास को पूरा करने की आवश्यकता** है।
- **महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक सेवा:**
  - **निर्बाध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क** को बनाए रखने में उनकी प्रभावशाली भूमिका के कारण पनडुब्बी केबल संचालन को **महत्त्वपूर्ण और आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता** दी जानी चाहिये।
  - आवश्यक अनुमतियाँ और सुरक्षा मंज़ूरी प्राप्त करने हेतु पनडुब्बी केबल संचालन उच्च स्तर का होना चाहिये।
- **प्रस्तावित विधायी संशोधन:**
  - भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 में **"पनडुब्बी केबल" और "केबल लैंडिंग स्टेशन"** पर एक अनुच्छेद को शामिल किया गया है।
    - यह डिजिटल संचार क्षेत्र की विकास और मज़बूती के साथ-साथ **कानूनी एवं नियामक सहायता** भी प्रदान करेगा।
- **सीमा शुल्क और GST में छूट:**
  - TRAI ने CLS, पनडुब्बी केबल संचालन और रखरखाव हेतु आवश्यक वस्तुओं के लिये **सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) और GST में छूट का प्रस्ताव** दिया है।
  - यह इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेगा विशेष रूप से केबल मरम्मत और रख-रखाव में।

सिफारिशों का महत्त्व:

- **डेटा प्रवाह को सुदृढ़ बनाना:**
  - **ट्राई द्वारा दिये गए प्रस्तावों में सीमा पार डेटा प्रवाह को अधिकतम करने, नवाचार को बढ़ावा देने** और डेटा में वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करने की क्षमता है।
- **विदेशी प्रदाताओं पर निर्भरता को कम करना:**
  - **समुद्र के भीतर केबल के रख-रखाव हेतु भारतीय इकाई के स्वामित्व वाले जहाज़ों के तीव्रता** और समुद्र के भीतर केबलों की मरम्मत के लिये विदेशी प्रदाताओं पर निर्भरता कम होगी।

पनडुब्बी संचार केबल:

- **परिचय:**
  - **यह एक केबल है जो भूमि-आधारित स्टेशनों के बीच समुद्र और समुद्र की लंबी दूरी पर दूरसंचार संकेतों को स्थानांतरित** करने हेतु जल के नीचे बिछाई गई है।
  - आधुनिक पनडुब्बी केबल फाइबर-ऑप्टिक तकनीक का उपयोग करती है। ऑप्टिकल फाइबर तत्त्व सामान्यतः **प्लास्टिक की परतों से लेपित होते हैं एवं ऑप्टिकल फाइबर घटक सामान्यतः सुरक्षात्मक ट्यूबों में संलग्न होते हैं जो उस स्थान हेतु उपयुक्त होते हैं।**
- **महत्त्व:**
  - उपग्रहों की तुलना में पनडुब्बी केबल के माध्यम से **इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग अधिक विश्वसनीय, लागत प्रभावी और उच्च क्षमता वाला होता है।**

- **उदाहरण:**
  - [MIST सबमरीन केबल सिस्टम](), भारत को म्याँमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ता है।
  - **रिलायंस जियो इंफोकॉम इंडिया-एशिया एक्सप्रेस (IAX),** भारत को मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड से जोड़ता है।
  - **भारत-यूरोप एक्सप्रेस (IEX)** सऊदी अरब और ग्रीस के माध्यम से भारत को इटली से जोड़ता है।
  - **SeaMeWe-6 परियोजना** भारत, बांग्लादेश, मालदीव के माध्यम से सिंगापुर को फ्राँस से जोड़ेगी।
  - **अफ्रीका-2 केबल** कई अफ्रीकी देशों द्वारा भारत को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ेगी।

सरोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/licensing-and-regulation-of-submarine-cable-landing-in-india